



इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ₹2,150 करोड़ के निवेश को मंजूरी

मेडिकल डिवाइस पार्क, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों को मिलेगी रियायत

■ एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए मेडिकल डिवाइस पार्क और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश करने वाली कंपनियों को रियायत दी जाएगी।

कैबिनेट ने मंगलवार को कंपनियों को प्रोत्साहन दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी 200 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाली कंपनियों को रियायत दिए जाने का प्रस्ताव पास हो गया। ये कंपनियां प्रदेश में 2,150 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी, जिससे 12,500 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

इन कंपनियों को दी जाएगी रियायत

हायर अप्लायंसेज

निवेश : 1,362 करोड़ रुपये

रोजगार : 5000 लोगों को

सनवोडा इलेक्ट्रॉनिक

निवेश : 210 करोड़ रुपये

रोजगार : 4,500 लोगों को

हॉलिटैक इंडिया

निवेश : 581.72 करोड़ रुपये

रोजगार : 3,000 लोगों को



ये होंगे समिति के कार्य

- बाघ संरक्षण के लिए समिति के मुख्य उद्देश्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और निकटवर्ती क्षेत्र में पारिस्थितिकीय, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करना
- टाइगर रिजर्व और आसपास के प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने में सहयोग देना
- ईको-पर्यटन, ईको-विकास, अनुसंधान, पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रबंधन और सलाह देने में समिति सहयोग करेगी
- पीलीभीत बाघ संरक्षण फाउंडेशन के प्रबंध के लिए प्रभारी मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अध्यक्षता में एक्जिक्यूटिव बॉडी का गठन किया जाएगा

यमुना एक्सप्रेस-वे के पास बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क

यमुना एक्सप्रेस-वे के पास बनाए जा रहे मेडिकल डिवाइस पार्क में लगाई जाने वाली इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मेडिकल डिवाइस पार्क में लगाई जाने वाली इकाइयों को कैपिटल इंट्रेस्ट सब्सिडी, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, एयर कार्गो हैंडलिंग चार्ज, फ्रेट इंसेंटिव, ईपीएफ प्रतिपूर्ति, पेटेंट फाइलिंग शुल्क प्रतिपूर्ति, उपयोगिता शुल्क में छूट, स्टॉप ड्यूटी छूट में प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह मेडिकल डिवाइस पार्क 350 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। इसकी लागत 439.40 करोड़ रुपये होगी। यह प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क होगा।



बंजर, बीहड़ जमीन को कृषि योग्य बनाएगी सरकार

प्रदेश में बीहड़, बंजर, जल भराव क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाने के लिए कैबिनेट ने प. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी है। यह नीति 2022-23 से 2026-27 तक लागू होगी। इस नीति में गौतमबुद्धनगर को छोड़कर सभी जिलों को शामिल किया गया है। इन जमीनों को कृषि योग्य बनाने के लिए मनरेगा के तहत काम करवाया जाएगा। योजना पर 5 साल में 602.68 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पांच साल में सरकार ने 2,19,250 हेक्टेयर जमीन को कृषि योग्य बनाने का लक्ष्य रखा है।



बाघ संरक्षण फाउंडेशन का होगा गठन

पीलीभीत टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के क्षेत्र में जैव विविधता के संरक्षण के लिए पीलीभीत बाघ संरक्षण फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। फाउंडेशन के गठन सहित अन्य फैसले लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

जमीन खरीदकर भी अस्पताल बना सकेगा स्वास्थ्य विभाग

स्वास्थ्य विभाग आवादी क्षेत्र में जमीन खरीद कर नया अस्पताल बना सकेगा। अगर कोई अपनी जमीन अस्पताल के लिए दान करता है तो अस्पताल का नामकरण उसके या उसके घरवाले के नाम पर हो सकेगा। वहीं, प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) की भर्ती अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा।

इन फैसलों को भी मिली मंजूरी

- 765 केवी मेरठ उपकेंद्र से 400 केवी और 220 केवी लाइन बनाने में 141 करोड़ रुपये खर्च होंगे
- सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा नाबार्ड से लिए जाने वाले 1000 करोड़ रुपये के लोन की शासकीय गारंटी लेगा शासन
- विधानसभा और विधान परिषद के वर्तमान सत्र का सत्रावसान करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी
- प्रयागराज में 113 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की जर्जर बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण को मंजूरी
- अयोध्या में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की जमीन दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी
- पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन में रिलायबल कम्युनिकेशन और डेटा एक्विजिशन सिस्टम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी
- चंदौली में जिला अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी